

तत्काल रिहाई के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 15 नवंबर 2021 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 10 सितंबर 2021 के माध्यम से भादूविप्रा से 1997 के भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के तहत "सैटेलाइट गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

3. अपने पत्र में, डीओटी ने कहा है कि उपग्रह सेवाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे में प्रस्तावित उपग्रह गेटवे (ओं) के संचालन के संबंध में सीमाएं हैं, क्योंकि एक उपग्रह तारामंडल ऑपरेटर द्वारा स्थापित गेटवे के, सेवा प्रदाता(ओं) द्वारा उपयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रस्तावित सैटेलाइट गेटवे (ओं) के संचालन के संबंध में मौजूदा प्रावधानों की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, डीओटी ने कहा है कि उपयुक्त लाइसेंसिंग ढांचे की आवश्यकता है और भादूविप्रा से सभी कारकों की समग्र रूप से जांच करने और सैटेलाइट गेटवे (ओं) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर सिफारिश करने का अनुरोध किया है, जिसमें प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, बैंक गारंटी, एनओसीसी शुल्क, और किसी भी अन्य मुद्दे (ओं) सहित संचालन का सुझाव दिया जा सकता है जो एलईओ / एमईओ / एचटीएस सिस्टम के लिए प्रासंगिक हो।

4. इस संबंध में, "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाल दिया गया है, जिसमें हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 13 दिसंबर 2021 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 27 दिसंबर 2021 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

5. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस.टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा